राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

प.12(3)वित्त / नियम / 2014 जयपुर, दिनांक : 07 JUN 2017

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /
प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /
विशिष्ट शासन सचिव /
समस्त विभागाध्यक्ष,
राजस्थान सरकार।

<u>परिपत्र</u>

विषयः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 एवं 76 के अन्तर्गत देय अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia Grant) की स्वीकृति के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 एवं 76 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि राज्य कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निष्पादन के समय नियम 75(1) व 76 में वर्णित परिस्थितियों में मृत्यु होने पर मृतक कार्मिक का पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा एक वर्ष की अवधि में प्ररूप 17 में आवेदन किये जाने पर नियमों में देय अनुग्रह अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जावेगी।

उक्त नियमों के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि में आवेदन नहीं किये जाने संबंधी शिथिलीकरण हेतु प्रकरण प्रशासनिक विभागों से वित्त विभाग को इस आधार पर प्रेषित हैं कि मृतक कार्मिक की पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता को नियमों की अनभिज्ञता रही है।

यदि राजकीय कर्मचारी की मृत्यु नियम 75(1) व 76 में वर्णित परिस्थितियों में हुई है तथा नियम 75(3)(c) व 76(3)(i) के अन्तर्गत जांच उपरान्त समस्त पात्रता सुनिश्चित होने पर, समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष पारिवारिक पेंशन के लिये राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 95 के अन्तर्गत जब राजकीय कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता को आवश्यक सूचना प्रदत्त कराते हैं, के साथ ही प्ररूप 17 जिसके अन्तर्गत अनुग्रह अनुदान राशि हेतु आवेदन अपेक्षित है, संलग्न कर लिखित सूचना प्रदत्त करावेंगे।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

(Pension-08/2017)